A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोंक)

(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 139/2020

निर्णय दिनांकः– 09.09..2020

मुकेश पुत्र छीतर जाति माली निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक राज0। प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि आराजी खाता सख्यां 55 के सहखातेदार मुकेशी पुत्र छीतर हिस्सा 1/60 वाके ग्राम ककोड तहसील उनियारा मे स्थित है। प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम मुकेश पुत्र छीतर माली है, जो कि प्रार्थी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, फोटो पहचान पत्र इत्यादि मे अंकित है। जिसने नामान्तरण 299 जो दिनांक 20.03.1995 को स्वीकृत ग्राम पंचायत द्वारा राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी का नाम सहवन से मुकेश के स्थान पर मुकेशी अंकित हो गया।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम मुकेश पुत्र छीतर माली दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाने के आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम मुकेश पुत्र छीतर माली है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जवाब मे अंकित किया है प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम मुकेश पुत्र छीतर माली है तथा मुकेशी पुत्र छीतर माली के स्थान पर मुकेश पुत्र छीतर माली किया जाना उचित हैं।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार उनियारा को आदेश्ति किया जाता है कि वे आराजी खाता सख्यां 55 के सहखातेदार मुकेशी पुत्र छीतर हिस्सा 1/60 वाके ग्राम ककोड तहसील उनियारा मे मुकेशी पुत्र छीतर के स्थान पर मुकेश पुत्र छीतर अंकित कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 09.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा